बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)

सं० सं०–म०/गो०शि०अरा०–13/2021 ...1602... मत्स्य/पटना, दिनांक : 8/8/2022

"अधिसूचना"

श्री सनत कुमार सिंह, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी के द्वारा छौड़ादानों प्रखंड मत्स्यजीवी सहयेग समिति लि०, मोतिहारी के साथ जलकरों की बंदोबस्ती हेतु रिश्वत लेने के आरोप प्रकाश में आया। रिश्वत लेने संबंधी आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या 1297 दिनांक 08.10.2021 द्वारा निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय मत्स्य निदेशालय पत्रांक 1320 दिनांक 21.10.2021 द्वारा मत्स्य निदेशालय, पटना निर्धारित किया गया।

2. मत्स्य निदेशालय पत्रांक 1410 दिनांक 19.11.2021 द्वारा जाँच टीम गठित कर उक्त मामले की जाँच कराई गई। जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा रिश्वत लेने का आरोप साक्ष्यविहीन एवं निराधार जाँच प्रतिवेदन में पाया गया है। बंदोबस्ती रद्द करने के आरोप के संबंध में जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि मात्र 4 जलकरों में ही समिति के द्वारा गड़बड़ी हुई थी, लेकिन पूरी बंदोबस्ती रद्द करने का प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है, जबकि बंदोबस्ती रद्द करने का प्रस्ताव बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम के नियमानुकूल है। इस कारण इन्हें बंदोबस्ती रद्द करने के तथाकथित आरोप से मुक्त किया जा सकता है।

   इस प्रकार, प्राप्त जांच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।

3. उक्त आरोपों के आलोक में श्री सनत कुमार सिंह से मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 39 दिनांक 21.01.2022 द्वारा प्रपत्र–'क' गठित करते हुए बचाव हेतु लिखित अभिकथन की माँग की गई।
4. आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 09.02.2022 को अपने बचाव हेतु लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन की समीक्षा के क्रम में श्री सिंह के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।
5. उक्त के आलोक में श्री सनत कुमार सिंह को निलंबन मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
6. श्री सिंह के निलंबन अवधि को कार्य अवधि मानते हुए जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए पूर्ण वेतनादि का भुगतान के साथ इसकी गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ परिगणित की जा सकेगी।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री सनत कुमार सिंह, तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उक्त आरोप से बरी किया जाता है। निलंबन मुक्ति के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में वे मत्स्य निदेशालय, पटना में अपना योगदान अविलंब समर्पित करेंगे।

8/8/2022

(मुकेश कुमार 'मुकुल')

उप सचिव,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक : म०/गो०शि०अरा०–13/2021 1602 *मत्स्य/पटना/दिनांक :* 8/8/2022

प्रतिलिपि : 1. श्री सनत कुमार सिंह, तदेन् जिला मत्स्य पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति मत्स्य निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3. परिक्षेत्रीय उप मत्स्य निदेशक, सभी/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं अनुसचिवीय कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5. आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

08/8/2022

उप सचिव